


बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

--: आदेश ::--

संख्या-17/स्था0-10-07/2022, सा0प्र0.4122/ पटना-15, दिनांक 01.03.23

सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश सं0-3899 दिनांक 24.02.2023 द्वारा बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना में काउंसिलिंग कार्य हेतु बिहार सचिवालय सेवा के 11 प्रशाखा पदाधिकारियों को दिनांक 01.03.2023 से 02.03.2023 तक के लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना में प्रतिनियुक्त किया गया है।

पूर्व निर्गत आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए क्रमांक-1 पर अंकित श्री आशुतोष कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी, वित्त विभाग को मुक्त करते हुए उनके स्थान पर श्री ऋषिकेश (मोबाईल नं0-9065482101), प्रशाखा पदाधिकारी, वित्त विभाग को बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना में प्रतिनियुक्त किया जाता है।

  
01.3.23


(योगेन्द्र ठाकुर)

अवर सचिव।

ज्ञापांक:-17/स्था0-10-07/2022, सा0प्र0.4122/ पटना-15, दिनांक 01.03.23

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग/विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना/संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


2. प्रतिनियुक्त प्रशाखा पदाधिकारियों को यह निदेश दिया जाता है कि वे दिनांक 28.02.2023 को पूर्वाह्न में स्वतः विरमित होकर निश्चित रूप से बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना में दिनांक 28.02.2023 को अपराह्न में योगदान करना सुनिश्चित करेंगे एवं प्रतिनियुक्ति अवधि की समाप्ति के उपरांत अपने विभाग/कार्यालय में योगदान करेंगे।

  
01.03.23

अवर सचिव।

ज्ञापांक:-17/स्था0-10-07/2022, सा0प्र0.4122/ पटना-15, दिनांक 01.03.23

प्रतिलिपि:-आई.टी. मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
01.03.23  
अवर सचिव।